

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम (लि.),
(झालको), राँची, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 06.12.2013

विषय :-

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-34-झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान 46 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन), विपत्र कोड-50P470200101340646 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-34- झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान	06-अनुदान 46 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) 50P470200101340646	285.50

आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ पचासी लाख पचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध रु. 490.00 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में निहित निदेशों/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।
- अधीक्षण अभियंता मोनटरिंग अंचल-3 एवं मुख्य अभियंता, मोनटरिंग यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

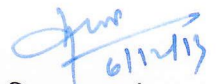
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी. एल. खाता में जमा करेंगे।
13. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
14. इस राशि का उपयोग झालको के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वित्तीय वर्ष 2013-14 के वेतन अनुदान के भुगतान हेतु किया जायेगा।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 150

रॉची, दिनांक :- 06.12.2013

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड; पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 150

रॉची, दिनांक :- 06.12.2013

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/विशेष सचिव जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

पत्रांक: 150

दिनांक: 06.12.2013

का अनुलानक

परिशिष्ट - 1

मौग संख्या 50 लघु सिंचाई विभाग

मुख्य शीर्ष -4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परियय

लघु शीर्ष -101-सतही जल,

उप शीर्ष -34-झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति एवं झालको हेतु वेतन अनुदान,

विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान 46 सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)

विपत्र कोड-50P470200101340646

वित्तीय वर्ष 13-14 में बजट उपबंध ₹ 490.00 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख) मात्र।

(लाख ₹ में)

क	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रबंध निदेशक झालको	झालको	झालको के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वित्तीय वर्ष 2013-14 का वेतन अनुदान	52/13-14 प्र०स्वी० दिनांक-29.11.13	571.00	0.00	285.50	285.50	
आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ पचासी लाख पचास हजार मात्र।				योग	571.00	0.00	285.50	285.50	

(ऑकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौससिया)

उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)

सचिव